



# प्रेस नोट थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक 14.06.2026

**“थाना बण्डा पुलिस टीम द्वारा नाजायज तमंचा व कारतूस सहित जिला बदर अभियुक्त को किया गिरफ्तार।”**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के पर्यवेक्षण, क्षेत्राधिकारी पुवायाँ के कुशल निर्देशन तथा प्रभारी निरीक्षक बण्डा के नेतृत्व में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना बण्डा पुलिस को बड़ी सफलता मिली।

## **संक्षिप्त विवरण:-**

दिनांक 13.06.2026 को थाना बण्डा पुलिस टीम शांति/कानून व्यवस्था ड्यूटी, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग, वांछित अपराधियों की तलाश आदि के क्रम में क्षेत्र में भ्रमणशील थी। इस दौरान पुलिस टीम को मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर जिला बदर अभियुक्त रामदास पुत्र बनवारीलाल, उम्र करीब 45 वर्ष, निवासी ग्राम ढका घनश्याम, थाना बण्डा, जनपद शाहजहाँपुर को एक अदद नाजायज तमंचा 315 बोर, एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा जामा तलाशी से एक कीपैड मोबाइल फोन सहित खखरा बुजुर्ग से बण्डा-बिलसण्डा जाने वाले कच्चे मार्ग से लगभग 50 मीटर दूरी पर समय 23:10 बजे गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 279/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट एवं धारा 3/10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

## **पंजीकृत अभियोग का विवरण:-**

मु0अ0सं0- 279/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व धारा 3/10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम

## **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-**

रामदास पुत्र बनवारीलाल निवासी ग्राम ढका घनश्याम थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर, उम्र करीब 45 वर्ष

## **गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय:-**

खखरा बुजुर्ग से बण्डा-बिलसण्डा जाने वाले रास्ते से, दिनांक 13.06.2026 समय 23.10 बजे

## **अभियुक्त का अपराधिक इतिहास:-**

- 1) मु0अ0सं0 0460/2019, धारा 323/325/504 भा0दं0सं0 एवं 3(1)(ध) एससी/एसटी एक्ट थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर
- 2) मु0अ0सं0 0012/2023, धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर

- 3) मु0अ0सं0 0055/2023, धारा 323/325/504/506 भा0दं0सं0 एवं 3(1)(ध) एससी/एसटी एक्ट थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर
- 4) मु0अ0सं0 456/2025, धारा 110/115(2)/117(2)/351(2)/352 बीएनएस थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर
- 5) मु0अ0सं0 0279/2026, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट एवं धारा 3/10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर

**बरामदगी का विवरण:-**

1. एक अदद नाजायज तमंचा 315 बोर
2. एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
3. एक अदद की-पैड मोबाइल फोन

**गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-**

1. उ0नि0 राहुल कुमार
2. हे0का0 336 वेदप्रकाश
3. का0 2466 निखिल कुमार